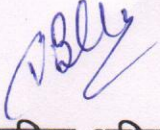
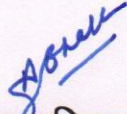


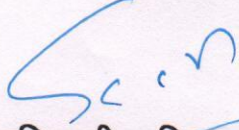
NON ENCUMBRANCE CERTIFICATE

परियोजना का नाम:— जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली—किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून के सहसपुर विकास खण्ड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली—किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु 3.528 हे० का दोगुना क्षेत्रफल 7.056 हे० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रत्यावर्तित करनी है, जिसका खसरा नं० 2336 ग्राम खारसी में कुल भूमि 7.056 हे० जिसे वन विभाग को प्रत्यावर्तित करने हेतु चयन किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगतनीय है, कि चयन भूमि वन से आच्छादित नहीं है। उक्त भूमि इस प्रयोजन के अतिरिक्त किसी भी परियोजना हेतु आवंटित नहीं की गयी है एवं उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की नहीं है। उक्त भूमि में कोई मन्दिर, मजिद या अन्य कोई धार्मिक स्थल भवन, पनघट, शमशानघाट, ऐतिहासिक स्मारक, वन्य अभ्यारण एवं आदिवासी जनजाति का निवास स्थल नहीं है। चयनित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कानूनी विवाद अथवा कब्जा नहीं है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

संख्या- 1141/12ए-143 (2014-17)/डी0एल0आर0सी0/2015 दिनांक 18 जनवरी, 2016

विषय- जनपद देहरादून में पुरुकुल भितरली किमाडी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आ रही 3.528 है0 वन भूमि के प्रतिकर स्वरूप दोगुनी सिविल सोयम/बंजर भूमि 7.1 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरण किये किये जाने के सम्बन्ध में।

उपजिलाधिकारी, चकराता
जनपद-देहरादून।

उपरोक्त उल्लिखित प्रकरण पर आपकी आख्या दिनांक 24 सितम्बर, 2015 अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुयी है, जनपद देहरादून में पुरुकुल भितरली किमाडी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आ रही 3.528 है0 वन भूमि के प्रतिकर स्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम खारसी, परगना-जौनसार बावर, तहसील-चकराता के खाता संख्या 000193 के खसरा नं0 2336 रकबा 61.00 में से 7.1 है0 भूमि, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

आप के द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रस्ताव को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित पत्रावली में दिनांक 15.01.2016 को अनुमोदित कर दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 15.01.2016 के क्रम में नियमानुसार ग्राम खारसी, परगना-जौनसार बावर, तहसील-चकराता के खाता संख्या 000193 के खसरा नं0 2336 रकबा 61.00 में से 7.1 है0 भूमि, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0-अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम अभिलेखों में दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून

प्रतिलिपि -

अधिशारी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून को उपरोक्त वर्णित प्रकरण पर उनके पत्र संख्या- 747/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिंचाई-देहरादून/जनरल दिनांक 10 जून, 2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून



photocopy attached

सहायक अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, देहरादून